न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
अपील सं0 157/2014 एल.आर एक्ट
अनुवान कृष्णादेवी (मृतक) हेतराम वगैरह (5)
बनाम
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ, स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.8.18	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्ट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवम् रेंस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित। यह अपील न्यायालाय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 23.4.12 जिसके द्वारा कस्बा सूरतगढ के नामान्तरकरण सं0 461 स्वीकृत दिनांक 3.11.2011 से कर्मचारी आवासीय कॉलोनी (रेवेन्यु) सूरतगढ'' की प्रविष्टि निरस्त की गयी तथा उक्त नामान्तरकरण की शेष प्रविष्टियां एवं तहसीलदार सूरतगढ का खसरा नं0 355/6 की 3.00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित किया गया आदेश दिनांक 20.10.11 यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये, के विरुध्द प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । उक्त विचाराधीन अपील में अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से दिनांक 14.8.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 22 नियम 4 सीपीसी जरिये वकालतनामा अपीलान्ट कृष्णादेवी के वारिसान की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि अपीलान्टा कृष्णा देवी पत्नी श्री हेतराम का स्वर्गवास दिनांक 27.6.2017 को बमुकाम में हो गया है, जिसके निम्न जायज वारिसान है :– 1. हेतराम पुत्र लाधुराम पति स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । 2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । 3. विष्णु पुत्र स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । 4. सम्पतदेवी पुत्री स्व. कृष्णा देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 5. सन्तोषदेवी पुत्री स्व. कृष्णा देवी पत्नी अमित कुमार जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा । अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि न्याय हित में मृतक पक्षकार का नाम कलमजन कर उपरोक्त वारिसाना को बतौर अपीलान्ट बनाया जाना आवश्यक है । अतः मृतक कृष्णादेवी का नाम प्रकरण में हटाया जाकर उसके स्थान पर उपरोक्त वारिसान को अपीलान्ट्स के रुप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान करें । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा मृतक कृष्णादेवी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वारिसान को अपीलान्ट्स के रुप में पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । हमने प्रार्थीगण हेतुराम वगैरह की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवम् रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अपीलान्टा श्रीमती कृष्णा पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं011 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का दिनांक 27.6.17 को देहावसान हो चुका है । अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रार्थीगण हेतराम वगैरह जरिये अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.17 स्वीकार किया जाकर मृतक कृष्णा देवी के निम्नलिखित कानूनी वारिसान को इस अपील में पक्षकार के रुप में संयोजित करने एवं अपील शीर्षक में इनका नाम लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं:–	

1. हेतराम पुत्र लाधुराम पति स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. विष्णु पुत्र स्व. कृष्णा देवी जाति बिश्नोई वार्ड नं015 पुराना 08 वर्तमान सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. सम्पतदेवी पुत्री स्व. कृष्णा देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. सन्तोषदेवी पुत्री स्व. कृष्णा देवी पत्नी अमित कुमार जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा ।

मृतक कृष्णा देवी के उपरोक्त वारिसान हेतराम वगैरह को रिकॉर्ड पर लिये जाने के पश्चात् इनके द्वारा आज दिनांक 21–8–18 जरिये अभिभाषक हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट सं0 1 ता 5 लोक अदालत की भावना से उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं । वर्तमान में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है । अतः यह अपील जरिये विड्रावल खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 23.4.12 के विरुध्द अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थीगण अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 21.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर